भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 361

(02 दिसंबर, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

पेरम्बुर जिले में स्वयं सहायता समूह

361. श्री अरुण नेहरूः

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पेरम्बलुर जिले में स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) की कुल संख्या कितनी है और 2024-25 के दौरान इन समूहों द्वारा कितना ऋण लिया गया है;

(ख) क्या सरकार ने ऋण लेने में आने वाली बाधाओं को चिह्नित किया है; और

(ग) यदि हाँ, तो जिले में स्वयं सहायता समूहों को ऋण देने में सुलभता बढ़ाने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय प्रस्तावित हैं?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(डॉ. चंद्र शेखर पेम्मासानी)

(क) आज तक , पेरम्बलुर जिले में 50,720 परिवारों को 4,473 स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) में संगठित किया गया है। इनमें से वित्तीय वर्ष 2024–2025 के दौरान 2,304 पात्र स्वयं सहायता समूहों को ₹173.15 करोड़ रुपय के ऋण प्रदान किए गए हैं।

(ख) और (ग) पेरम्बलूर ज़िले में स्वयं सहायता समूहों को ऋण प्रदायगी से संबंधित कोई मामले नहीं हैं। सभी बैंक ऋण आवेदनों के समय से निपटान और सभी पात्र समूहों को ऋण सुविधा उपलब्ध कराने में पूर्ण सहयोग प्रदान कर रहे हैं।